न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-96RAAJodhpur2022-59RTA225 Mishreelal Vs Sukhadi etc

मिश्रीलाल पुत्र श्री गोरधनराम, जाति बिश्नोई, निवासी- रावर की ढाणी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. सुखड़ी पत्नी श्री चौखाराम, जाति बिश्नोई, निवासी- रावर की ढाणी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 23 नवंबर 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2020 सुखड़ी बनाम मिश्रीलाल इत्यादि

उपस्थित-

श्री किसनराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री रामनिवास अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 08 फरवरी 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2020 सुखड़ी बनाम मिश्रीलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 नवंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 25 फरवरी 2022 को प्रस्तुत की है।

08.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 724, 725 व 726 ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा में आने-जाने हेतु अपीलांट/अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 722 की दक्षिण दिशा एवं खसरा नं. 723 की उतरी दिशा के सहारे-सहारे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए से बी रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 नवंबर 2021 के जरिये प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट के खातेदारी खेत में से रास्ता देने में भारी भूल की है। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा सुजाये गये रास्ते बाबत कोई जांच नहीं की एवं मनमाने रूप से आदेश पारित कर दिया। रेस्पोडेंट संख्या एक ने कथन किया है कि उनके आवागमन हेतु खसरा नं. 723 में रास्ता पूर्व से चल रहा था तथा चलायमान रास्ते को अवरोधित किये जाने के कथन भी किये गये है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का नहीं होकर धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आता है। यह उल्लेखनीय है कि राजस्व नक्शे में डोटेड लाईन में दर्शाया गया रास्ता रेस्पोडेंट संख्या एक की खातेदारी भूमि खसरा नं. 730/1 की सीमा के सहारे से गुजरता है। रेस्पोडेंट संख्या एक का खातेदारी खेत खसरा नं. 724, 725 एवं 726

08.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा नं. 730/1 से जुड़े हुए है, जिसकी पुष्टि जमाबंदी संवतः 2050-2053 ग्राम रावर एवं राजस्व नक्शे से होती है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु पूर्व से ही मौके पर रास्तो मौजूद होने से अपीलांट की खातेदारी भूमि में सें नवीन रास्ते का आदेश कानूनन पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना आलौच्य नवीन रास्ते का आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आलौच्य आदेश विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी की पीठ के पीछे पारित किया गया है। उक्त आदेश की सूचना प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा नही दी गई न ही सुनवाई के दौरान प्रार्थी को बुलाया गया। इसके विपरीत अधिवक्ता ने प्रार्थी को यह कह दिया कि आवश्यकता होने पर आपको बुला लिया जायेगा। दिनांक 09.02.2022 को गांव में अफवाह सुनी कि प्रार्थी के खेत में से रास्ता देने के आदेश कर दिये है तो प्रार्थी ने अधिवक्ता से सम्पर्क करने का प्रयत्न किया तो अधिवक्ता ने कॉजलिस्ट देखकर प्रकरण का फेसला होना बताया। तब दिनांक 10.02.2022 को नकल हेतु आवेदन किया गया जो दिनांक 15.02.2022 को नकल प्राप्त हुई। प्रार्थी ने जानबूझकर या उद्धेश्य विशेष की प्राप्ति हेतु कोई विलंब नहीं किया है, उक्त विलंब सद्भावी था, जो क्षम्य योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2020 सुखड़ी बनाम मिश्रीलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 नवंबर 2021 को खारिज फरमाया जावे।

08.2.24

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. सख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बिलाड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत रास्ता दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में अपीलाधीन रास्ते को ही निकटतम रास्ता बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसर प्रतिकर राशि अपीलांट्स को अदा किये जाने के निर्देशो के साथ मौका फर्द के आधार पर लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा सुजाया गया रास्ता मौका रिपोर्ट से साबित नहीं है। अपीलांट द्वारा खसरा नं. 730/1 में से रास्ता होने का उज्र विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त उज्र अपील स्तर पर मान्य नहीं है। अपीलांट ने हस्तगत अपील विलंब से पेश की है तथा विलंब का कोई संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है। माननीय उच्चतर न्यायालयों ने समय-समय पर पारित निर्णयों में प्रकरण का निस्तारण तकनीकी आधार के बजाय गुणावगुण पर किये जाने के निर्देश दिये है। ऐसी स्थिति में न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवतः 2050-2053 ग्राम रावर, पटवार क्षेत्र रावर, भू-अभिलेख निरीक्षक कापरड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर के खाता संख्या 49 पुराना एवं नवीन खाता संख्या 94 के मुताबिक भूमि खसरा नं. 730/1 29.4 बीघा सहित अन्य भूमियो में

08.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पोडेंट संख्या एक सुखड़ी बेवा चौखाराम दर्ज रही है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 724, 725 एवं 726 में से रास्ता चाहा है, उक्त भूमियॉ खसरा नं. 730/1 से जुड़ी हुई है तथा राजस्व नक्शे में दर्शाया गया डोटेड रास्ता खसरा नं. 730/1 की सीमा के सहारे-सहारे गुजरता है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट की उक्त भूमियॉ वैकल्पिक रास्ते से जुड़ी हुई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं. 730/1 में से रास्ते के विकल्प एवं मौके पर अन्य विकल्पों बाबत जांच किये बिना आलौच्य आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2020 सुखड़ी बनाम मिश्रीलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 नवंबर 2021 को खारिज किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड करते हुए विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि उक्त आब्जेर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका जांच रिपोर्ट तलब कर विधिसम्मत रास्ते का आदेश पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

00.2.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर